दैनेला — तत्काल

संख्या-CM-02/नौ–9–2017– 277ज/11

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर आयुक्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2017

विषय– प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में अवैध होर्डिंग एवं बैनर हटाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–618/नौ–09–2012–277ज/2011,दिनांक–05.04.2012का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विज्ञापन/प्रचार के सम्बंध में निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं :–

1. विज्ञापन या विज्ञापन पट की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप निर्धारित किया जाये, जिसमें आवेदक का पूर्ण विवरण, विज्ञापन या विज्ञापन पट की अवस्थिति, आकार, प्रकार, विशिष्टियाँ, स्थल मानचित्र और अन्य सुसंगत सूचनायें, आदि का पूर्ण समावेश हो। आवेदन–पत्र का विक्रय मूल्य भी निर्धारित किया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि इसे सीधे डाउनलोड किया जा सके और आवेदन–पत्र जमा करते समय इसका मूल्य जमा करा लिया जाय ।
2. विज्ञापन या विज्ञापन पट के लिये ऐसे स्थल चिन्हित किये जायें जो प्रत्येक दृष्टि से निरापद, निर्बाध गमनागमन और सुगम यातायात के लिये सर्वथा उपयुक्त हों।
3. प्रत्येक नगर में विज्ञापन या विज्ञापन पट हेतु प्रतिबन्धित क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाय। ऐसे क्षेत्रों मे किसी भी प्रकार का विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी स्थिति में प्रतिष्ठापित न होने दिया जाय।
4. किस स्थल पर किस आकार–प्रकार का, किस उँचाई का, किन विशिष्टियों का विज्ञापन या विज्ञापन पट लगाया जायेगा, इसका भी निर्धारण किया जाय।
5. विज्ञापन पटों की सुदृढ़ता प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाये,ताकि कोई दुर्घटना न होने पाये।
6. विज्ञापनो को वृक्षों, बल्लियों, बांस या लकड़ी से बाँधा नहीं जायेगा। इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि विज्ञापनों से आस–पास का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट न हो और लोक सम्पत्ति किसी प्रकार से विरूपित न हो।
7. जनहित में विज्ञापन या विज्ञापन–पट की अनुमति कभी भी समाप्त की जा सकेगी और विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाया जा सकेगा।
8. शर्तो अथवा आदेशों की अवहेलना करने पर विज्ञापन/विज्ञापन पट तत्काल हटा दिये जाये तथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये।
9. विज्ञापन कर अथवा इससे सम्बन्धित अन्य देय शुल्को का नियमानुसार निर्धारण किया जाये और शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित की जाय।

Yo Go

10. कोई भी विज्ञापन या विज्ञापन पट किसी भी दशा में जनहित और निकाय हित के प्रतिकूल नही होने चाहिये और उसमें सम्प्रदर्शित विज्ञापन किसी भी प्रकार से अशिष्ट, अश्लील, स्वास्थ्य के लिये हानिकारक अथवा आपत्तिजनक प्रकृति के नही होने चाहिये।
11. स्थानीय परिस्थितियों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुये नियम एवं शर्तों की संरचना कर तदनुसार उन्हें लागू किया जाय।

2. शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कतिपय होर्डिंगों एवं बैनरों को लगाये जाने हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन नही प्राप्त किया गया है। उक्त क्षेत्रों में अवैध रूप से लगाये गये होर्डिंग/बैनर, मानक के विपरीत होने के कारण असुरक्षित है, जिससे जान–माल के नुकसान की संभावना व्याप्त है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विज्ञापन/प्रचार से सम्बन्धित, प्रदेश के नगरीय निकायों के अनधिकृत स्थलो पर लगाये गये अवैध होर्डिंगों एवं बैनरों को प्रदेश भर में अभियान चलाकर एक माह में पूर्ण रूप से हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही की पाक्षिक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तदैव :–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. विशेष सचिव एवं स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश)।
5. मा0 मंत्री जी नगर विकास विभाग निजी सचिव को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. नगर विकास सचिव शाखा के समस्त अनुभाग/गार्ड फाइल।
7. वेबसाइट पर अपलोड है।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।

Yo Go